रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 105] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 1970/ज्येष्ठ 12, 1892

No. 105] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 1970/JYAISTHA 12, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 2nd June 1970

G.S.R. 869.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts tea (hereafter in this notification referred to as loose tea) falling under sub-item (1) of item No. 3 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), cleared from a factory during the period commencing from 2nd June, 1970 and ending with 31st March, 1971, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of seventy paise per kilogram, subject to the condition that the manufacturer claiming such exemption furnishes proof to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise having jurisdiction that in the public auctions held at Amritsar, Calcutta, Cochin, Coonoor and London during the period commencing from 1st April, 1967 and ending with 31st March, 1970, a quantity of loose tea (being loose tea manufactured in the factory) which is not less than fifty per cent of the quantity of loose tea manufactured in the factory during the said period of three years had been sold and that an average price of

less than five rpees per kilogram had been realised for all loose tea (being loose tea manufactured in the factory) sold at such public auctions.

Explanation.—For the purposes of this notification—

(i) if the auction sale was held at Amritsar, Calcutta, Cochin or Coonoor, the average price aforesaid shall be calculated after deducting from the gross auction sale proceeds the duty of excise, the special duty of excise, cess on tea and local taxes, if any;

(ii) if the auction sale was held at London, the average price aforesaid shall be calculated after deducting from the gross scale proceeds—

(a) the duty of excise, the special duty of excise, cess on tea and local taxes, if any, paid in India;

(b) the export duty paid in India; and

(c) the amount at the rate of one rupee and twenty-five paise per kilogram of loose tea.

[No. 131/70—F. No. B.6/5/70-CX.II.]

E. R. SRIKANTIA, *Dy. Secy.*

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 2 जून 1970.

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 869.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद स० 3 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली, 2 जून, 1970 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान कारखाने से निकासी की गई चाय (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् खुली चाय कहा गया है) को, इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसी छूट का दावा करने वाला विनिर्माता, अधिकारिता रखने वाले सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह सबूत प्रस्तुत करता है कि 1 अप्रेल, 1967 को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान अमृतसर, कलकत्ता, कोचीन, कूनूर और लन्दन में हुए सार्वजनिक नीलामों में खुली चाय (जो कारखाने में विनिर्मित खुली चाय है) की एक मात्रा, जो तीन वर्ष की उक्त कालावधि के दौरान कारखाने में विनिर्मित खुली चाय की मात्रा के पचास प्रतिशत से अन्यून है, का विक्रय किया गया था और यह कि ऐसे सार्वजनिक नीलामों में विक्रय की गई सारी खुली चाय (जो कारखाने में विनिर्मित खुली चाय है) के लिए पांच रुपये प्रति किलोग्राम से कम की औसत कीमत वसूल की गई थी, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से, जो सत्तर पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक है एतद्‌द्वारा छूट देती है ।

स्पष्टीकरण— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए —

(i) यदि नीलाम अमृतसर, कलकत्ता, कोचीन या कूनूर में किया गया था तो पूर्वोक्त औसत कीमत, नीलाम के सकल विक्रय आगमों से उत्पाद शुल्क, विशेष उत्पाद शुल्क, चाय

पर उपकर और स्थानीय कर, यदि कोई हो, की कटौती करने के पश्चात् परिकलित की जाएगी ;

(ii) यदि नीलाम लन्दन में किया गया था तो पूर्वोक्त औसत कीमत, सकल विक्रय आगमों में से निम्नलिखित की कटौती करने के पश्चात परिकलित की जाएगी —

(क) भारत में संदत्त उत्पाद शुल्क, विशेष उत्पाद शुल्क, चाय पर उपकर और स्थानीय कर, यदि कोई हों ;

(ख) भारत में संदत्त निर्यात शुल्क ; और

(ग) खुली चाय पर प्रति किलोग्राम एक रुपया पच्चीस पैसे की दर से रकम ।

[सं० 131/70—फा० सं० बी० 6/5/70 सी० एक्स ।]

ई० आर० श्रीकान्तीया, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970